अज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
प्रशासन गांवों के संग–2021, केम्प–कोसेलाव

बइजलास :– **श्री ऋषभ मण्डल, आई.ए.एस.**

रा.वा – 40/2021
जी.सी.एम.एस. – 2021/89
दायर तिथि – 12.07.2021

वादी :–

1. धन्नाराम पुत्र स्व. पूनाराम
   जाति – घांची, नि. कोसेलाव, तह. सुमेरपुर

ब ना म

प्रतिवादी :–

1. मगाराम पुत्र स्व. पुनाराम
2. चुनाराम पुत्र स्व. पुनाराम
3. नेमाराम पुत्र स्व. पुनाराम
4. दलाराम पुत्र स्व. पुनाराम
5. श्रीमती सुमटी पुत्री स्व. पुनाराम
6. श्रीमती चौथकी पुत्री स्व. पुनाराम
   तमाम जातिगण घांची, निवासीगण कोसेलाव, तह. सुमेरपुर
7. स्व. श्रीमती रूपी पुत्री स्व. पुनाराम के का.मु वारिसान
   7/1 गोपाल पुत्र रूपी पत्नी खेताराम
   जाति घांची, निवासी भैरूचौक सुमेरपुर
8. श्रीमती जमू बेवा स्व. पुनाराम
   जाति घांची, निवासी कोसेलाव, तह. सुमेरपुर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुमेरपुर

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :– 18.10.2021

उपस्थिति

वकील वादी – उपस्थित
वकील प्रतिवादी – सरकारी पैरोकार उपस्थित

निर्णय

1. पत्र में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

A. सरहद मौजा कोसेलाव तहसील सुमेरपुर में स्थित खसरा नं. 392 रकबा 1.52 हैक्टेयर किस्म जवाई नहरी प्रथम, खसरा नं. 394 रकबा 1.50 हैक्टेयर किस्म जवाई नहरी प्रथम, खसरा नं. 395 रकबा 1.60 हैक्टेयर किस्म जवाई नहरी प्रथम कुल रकबा 4.62 हैक्टेयर भूमि आयी हुई स्थित है, जिसमें वादी के पिता का 1/3 हिस्सा निहित रहा है।

B. वर्तमान में उपरोक्त खातेदारी भूमि का आगे से आगे बंटवाडे किये जाने से नये खसरा नं. 392/1 रकबा 0.5100 हैक्टेयर किस्म जवाई नहरी प्रथम, नये खसरा नं. 394/1 रकबा 0.5000 हैक्टेयर किस्म जवाई नहरी प्रथम, नये खसरा नं. 394/1 रकबा 0.5000 हैक्टेयर किस्म जवाई नहरी प्रथम, नये खसरा नं. 395/1 रकबा 0.5300 हैक्टेयर किस्म जवाई नहरी प्रथम, कुल रकबा 1.5400 हैक्टेयर भूमि स्व. पुनाजी के सभी वारिसान का 1/9, 1/9, हिस्सा मौके पर निहित है। जिस अनुसार की काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

C. वादी के पिता स्व. पुना पुत्र भुताजी की मृत्यु होने वर उपरोक्त विवादित आराजी में जो नामान्तरकरण सं. 216 दिनांक 29.05.1989 भरा गया वह सही भरा गया था। लेकिन उक्त

उपखण्ड अधिकारी

नामान्तरकरण दर्ज होने के बाद प्रथम जमाबन्दी बनी उसमें वादी का गलत रूप से विलोपित किया गया एवं जमाबन्दी में केवल प्रतिवादी सं. 1 लगाय 8 का नाम ही इन्द्राज हुआ जो वर्तमान जमाबन्दी बदस्तुर जारी है ,जिसकी दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

2. अप्रार्थी सरकारी पेरोकार द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब निम्नानुसार पेश किया :–

1. गत जमाबन्दी 2044–47 में खाता सं. 230 नवीन जमाबन्दी वर्ष 2074–77 में खाता सं. 757 खसरा नं. 392, 394, 395 में पुना पुत्र भुता फौत हो जाने से उनके स्थान पर मानाराम, चुनाराम, नेमाराम, दलाराम, धनाराम पि. पुना, सुमटी, चौथकी, रूपी पुत्री पुना, जमु बेबा पुना दर्ज हुआ। परन्तु नामान्तरकरण सं. 2016 का जमाबन्दी संवत् 2044–2047 में अमलदरामद करते समय धनाराम पुत्र पुना का नाम दर्ज होने से शेष रह गया। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में दौराने कैम्प कोसेलाव में पटवारी हल्का कोसेलाव एवं भू.अ.नि. कोसेलाव के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम कोसेलाव के खसरा नं. 392/1, 394/1, 395/1 में धनाराम पुत्र पुना हिस्सा 1/9 व समस्त शेष खातेदार का हिस्सा 1/9 दर्ज करने का शुद्विपत्र स्वीकृत कर दिया गया है।

3. हमने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अवलोकन किया। सरकारी पैरोकार के कथन पर एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया –
तहसीलदार सुमेरपुर आदेश दिए जाते है कि ग्राम कोसेलाव के खसरा नं. 392/1, 394/1, 395/1 में धनाराम पुत्र पुना हिस्सा 1/9 व समस्त शेष खातेदार का हिस्सा 1/9 दर्ज होने व शुद्विपत्र अनुसार वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो जाने से वादी का वाद आगे चलाना न्योचित नहीं होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 में मजमे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(ऋषभ मंडल I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)